प्रेषक,

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
देहरादून।

सेवामें,

उप शिक्षा अधिकारी
चकराता / कालसी / विकासनगर
सहसपुर / रायपुर / डोईवाला।

पत्रांकः प्र0राज0बे0–1,2 / 1145-52 / वा0स्था0 / 2024–25 दिनांक 22 मई, 2024

विषयः– **प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत प्र0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 / रा0क0उ0प्रा0वि0 / रा0प्रा0वि0, स0अ0 रा0उ0प्रा0वि0 / रा0क0उ0प्रा0वि0 / रा0प्रा0वि0 के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु विकल्प पत्र एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–198739 / XXX(2) / E–33080 दिनांक 14.03.2024 के क्रम में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उततराखण्ड, देहरादून के पत्रांकः प्रा0शि0–दो(02) / 770–2024 / 19605–15 / 2023–24 दिनांक 16 मार्च, 2024 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के सन्दर्भ में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2024–25 हेतु विभागान्तर्गत प्रत्येक संवर्ग में पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों के स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा को निर्धारित करते हुए स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 में निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

अवगत कराना है कि जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, देहरादून के पत्रांकः प्र0राज0बे0–1,2 / 658–59 / 2024–25 दिनांक 07 मई, 2024 द्वारा रा0उ0प्रा0वि0 / रा0प्रा0वि0 में कार्यरत शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशित की गयी हैं। कार्यालय के पत्र संख्या–819 दिनांक 14 मई, 2024 द्वारा निदेशालय स्तर से प्राप्त पात्रता सूची समस्त उप शिक्षा अधिकारी जनपद–देहरादून को उपलब्ध कराते हुए निर्देशित किया गया कि उक्त सूची का भली–भांति परीक्षण करते हुए यदि किसी कार्मिक की किसी भी प्रकार की अंकना त्रुटिपूर्ण हो तो सम्बन्धित का विवरण सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में दिनांक 18 मई, 2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपदान्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत प्र0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 / रा0क0उ0प्रा0वि0 / रा0प्रा0वि0, स0अ0 रा0उ0प्रा0वि0 / रा0क0उ0प्रा0वि0 / रा0प्रा0वि0 के वार्षिक स्थानान्तरण किये जाने है। निदेशालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में प्र0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 / रा0क0उ0प्रा0वि0 / रा0प्रा0वि0, स0अ0 रा0उ0प्रा0वि0 / रा0क0उ0प्रा0वि0 / रा0प्रा0वि0 की अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची एवं संशोधित रिक्तियों की सूची विभागीय बेबसाइट– **www.schooleducation.uk.gov.in** पर अपलोड की जा रही है। साथ ही जनपदान्तर्गत प्र0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 / रा0क0उ0प्रा0वि0 / रा0प्रा0वि0,स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0 / रा0क0उ0प्रा0वि0 / रा0प्रा0वि0 के अनिवार्य एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु विकल्प पत्र / आवेदन पत्र निम्नानुसार आमंत्रित किए जा रहे हैं–

1. विभागीय बेवसाइट पर प्रकाशित अनिवार्य स्थानान्तरण की परिधि में आने वाले शिक्षक अपने विकल्प पत्र सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष से अग्रसारित करवाकर **दिनांक 25 मई 2024 तक** उप शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी अपने विकास खण्ड के समस्त विकल्प पत्र **दिनांक 27 मई 2024** तक अनिवार्यतः जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून को उपलब्ध करायेंगे। निर्धारित तिथि तक विकल्प पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष नियमानुसार स्थानान्तरण कर दिया जायेगा।
2. स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 3 (घ) के प्राविधानों के अन्तर्गत सुगम से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट चाहने वाले शिक्षकों को विकल्प पत्र के साथ सम्बन्धित प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही धारा 7 (घ) के प्राविधानों के अन्तर्गत

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट चाहने वाले शिक्षकों को भी विकल्प पत्र के साथ सम्बन्धित प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रमाण–पत्र स्थानान्तरण अधिनियम के अनुरूप होने पर ही सम्बन्धित शिक्षकों को अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान की जायेगी। शासनादेश संख्या–130236 दिनांक 15 जून, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–3(घ) का लाभ कार्मिकों को प्रत्येक स्थानान्तरण सत्र के आरम्भ में सक्षम स्तर का अद्यतन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने पर ही स्थानान्तरण में छूट प्रदान की जा सकेगी। प्रमाण–पत्र अद्यतन न होने की स्थिति में स्थानान्तरण से छूट पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक अनुरोध की जिस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करना चाहते हों, सम्बन्धित श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख करते हुए एवं सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न कर उचित माध्यम से उक्त निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायेंगे।
4. बिना उचित माध्यम के सीधे कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में सम्बन्धित शिक्षक को कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
5. आवेदन करने वाले समस्त शिक्षक विभागीय वैबसाईट से रिक्तियों का अवलोकन करने के उपरान्त ही विकल्प पत्र/अनुरोध हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में रिक्तियों की अंकना करें।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 04 मई, 2024 के अनुसार वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024–25 में स्थानान्तरण वैबसाईट पर प्रसारित रिक्तियों के सापेक्ष ही किए जायेंगे। फलित रिक्तियों के सापेक्ष किसी भी श्रेणी में स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे। ऐसी स्थिति में यदि किसी शिक्षक द्वारा फलित रिक्ति के सापेक्ष विकल्प/ आवेदन पत्र में रिक्ति भरी गयी हो तो ऐसी फलित किसी भी रिक्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 04 मई, 2024 द्वारा शासनादेश संख्या–71383 दिनांक 29.11.2023 के कम में दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में आने वाले शिक्षकों को वार्षिक स्थानान्तरण आवेदन के साथ दुर्गम के विद्यालय में बने रहने का विकल्प प्रस्तुत करना होगा। विकल्प प्रस्तुत न करने वाले शिक्षकों का ही दुर्गम श्रेणी से सुगम श्रेणी में स्थानान्तरण किया जायेगा, जिस पर स्थानान्तरण के उपरान्त यथावत रखे जाने पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
8. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पात्रता सूची का भली भांति परीक्षण कर लें तथा यदि पात्रता सूची में किसी कार्मिक का नाम, पदनाम, वर्तमान तैनाती अथवा अन्य विवरण त्रुटिपूर्ण अंकित हो तो 02 दिन के भीतर अपनी स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराते हुए जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0 देहरादून को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के कम में उक्तानुसार दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– अनिवार्य स्थानान्तरण पात्रता सूची तथा रिक्त पदों की सूची।

भवदीय

(प्रदीप कुमार)
जिला शिक्षा अधिकारी,प्रा0शि0
देहरादून

पृ0सं0: प्र0राज0बे0–1,2/ 1145-52 /अनि0स्था0/2024–25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

4. मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून।
5. समस्त सम्बन्धित प्रधानाध्यापक, प्र0अ0, रा0उ0प्रा0वि0/रा0क0उ0प्रा0वि0/रा0प्रा0वि0 (द्वारा सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी)।
6. प्रभारी एम0आई0एस0, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि पात्रता सूची एवं संशोधत रिक्तियां विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. अध्यक्ष/मंत्री, उत्तराखण्ड जूनियर हाईस्कूल (पू0मा0) शिक्षक संघ जनपद–देहरादून।
8. अध्यक्ष/मंत्री, उत्तराखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद–देहरादून।

(प्रदीप कुमार)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
देहरादून